

Farmer Producer Organisation (FPO) Formation & Registration

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 16 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

कृषक उत्पादक संगठन (FPO) का गठन — उत्पादक कंपनी या सहकारी — सदस्य-जुटाव, शासी दस्तावेज़ व उपनियम, पंजीकरण मार्ग, और प्रोत्साहन योजना (जैसे 10,000-FPO योजना का इक्विटी अनुदान व CBBO समर्थन) से लिंक सहित यह टूल तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

समूह हेतु उत्पादक कंपनी बनाम सहकारी सुझाकर, उपनियम, पंजीकरण मार्ग व योजना-लिंक तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

रूप-तुलना, उपनियम व पंजीकरण मार्ग का उपयोग FPO को उत्पादक कंपनी/सहकारी के रूप में पंजीकृत करने, सदस्य-आधार जुटाने, और इक्विटी अनुदान, मैचिंग अनुदान व CBBO समर्थन हेतु FPO प्रोत्साहन योजना से जोड़ने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

उत्पादक कंपनी हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, या सहकारी हेतु सहकारी समिति रजिस्ट्रार; और योजना-लिंक हेतु प्रोत्साहक एजेंसी/CBBO (NABARD, SFAC या कार्यान्वयन एजेंसी)।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

समावेशन (कंपनी अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत उत्पादक कंपनी SPICe+/फॉर्म सहित, या राज्य अधिनियम के अंतर्गत सहकारी) उपनियम, सदस्य-सूची व बोर्ड-विवरण सहित दाखिल करें, और अनुदानों हेतु FPO योजना पोर्टल पर पंजीकृत करें।

शुल्क और खर्च

चुने रूप हेतु समावेशन शुल्क व स्टॉप शुल्क, और पेशेवर शुल्क; प्रोत्साहन योजना इक्विटी व मैचिंग अनुदान व CBBO समर्थन देती है।

इसकी जाँच किससे कराएँ

कंपनी सेक्रेटरी या CBBO/NABARD-empanelled संसाधन एजेंसी — रूप चुनने, उपनियम रचने और योजना-लिंक व अनुदान सही रास्ते करने के लिए।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

रूप (उत्पादक कंपनी बनाम सहकारी) शासन, योजना-पात्रता व अनुदान प्रभावित करता है, और न्यूनतम सदस्य व बोर्ड मानदंड पूरे हों; कमज़ोर सदस्य-आधार या उपनियम योजना-दावा कमज़ोर करते हैं। प्रोत्साहक एजेंसी से सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी वाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।